



संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/ जीडीएल/आईएनवी/041/02/2025
Ref: IRDAI/F&I/GDL/INV/041/02/2025

28 फरवरी, 2025
28 February, 2025

प्रति / To,
सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
All Life, General and Health Insurers

ईक्विटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के द्वारा बचाव-व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देश
Guidelines on Hedging Through Equity Derivatives

आईआरडीएआई (इन दिशानिर्देशों में इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित) ने बीमाकर्ताओं को परिपत्र सं. आईएनवी/जीएलएन/008/2004-05 दिनांक 24 अगस्त 2004 के द्वारा नियत आय व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से 2004 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लेनदेन करने के लिए अनुमति दी, जिसमें आगे 2014 में और समीक्षा की गई जो वायदा दर करारों (एफआरएस), ब्याज दर अदला-बदलियों (आईआरएस) और विनिमय व्यापारित ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफएस) के रूप में रुपये ब्याज दर डेरिवेटिव्स में लेनदेन करने के लिए बीमाकर्ताओं को अनुमति देने के लिए थी। नियत आय डेरिवेटिव्स के साथ ही, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/आईएनवी/सीआईआर/247/ 11/2012 दिनांक 27 नवंबर 2012 के अनुसार 2012 में प्रयोक्ताओं के रूप में (संरक्षण क्रेताओं) के रूप में ऋण चूक अदला-बदलियों (सीडीएस) में लेनदेन करने के लिए भी अनुमति दी।

बीमाकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए, बीमाकर्ताओं के द्वारा ईक्विटी बाजार में निवेशों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए तथा ईक्विटी कीमतों में संबद्ध अस्थिरता के कारण, एक प्रति-उपाय के रूप में ईक्विटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की अनुमति देने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची III के खंड 13 के अंतर्गत इसके द्वारा ईक्विटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) संबंधी दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।

1. बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अधीन अपने वर्तमान ईक्विटी एक्सपोज़रों का बचाव (हेजिंग) करने के लिए ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

2. उद्देश्य:

उक्त ईक्विटी डेरिवेटिव्स की अनुमति बीमाकर्ताओं के लिए निम्न प्रयोजनों के लिए दी जाती है:

- 2.1 ईक्विटी बाजार में अस्थिरता के विरुद्ध बचाव करने के लिए।
- 2.2 ईक्विटी निवेशों के बाजार मूल्य के परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए।
- 2.3 ईक्विटी संविभाग जोखिम को कम करने के लिए।

3. अनुमति-प्राप्त लिखत:

बीमाकर्ताओं को अपनी वर्तमान स्थितियों का बचाव करने के लिए निम्नलिखित विनियम व्यापारित ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है:

3.1 स्टाक फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित फ्यूचर्स:

3.1.1 बीमाकर्ताओं को संबंधित निधियों में अंतर्निहित ईक्विटियों¹ की धारिता की सीमा तक स्टॉक फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित फ्यूचर्स में अधिविक्रय की स्थिति (शार्ट पोजिशन) लेने के लिए अनुमति दी जाती है।

3.1.2 फ्यूचर्स में उक्त अधिविक्रय की स्थिति (शार्ट पोजिशन) उसी निधि के अंदर (जीवन बीमाकर्ताओं की जीवन निधि के अंदर अलग की गई संबद्ध निधि या उसी निधि/उप-निधि या पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि अथवा साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आस्तियाँ) ली जाएगी जहाँ अंतर्निहित ईक्विटियाँ धारित की जाती हैं।

3.2 स्टाक ऑप्शन्स और सूचकांक आधारित ऑप्शन्स:

3.2.1 बीमाकर्ताओं को एक ऑप्शन धारक (क्रेता) की स्थिति लेने के लिए अनुमति दी जाती है तथा उन्हें संबंधित निधियों में वर्तमान अंतर्निहित ईक्विटी धारिता¹ के आधार पर स्टॉकों और सूचकांकों के केवल पुट ऑप्शन्स खरीदने के लिए अनुमति दी जाती है।

3.2.2 पुट ऑप्शन्स की खरीद उसी निधि के अंदर (जीवन बीमाकर्ताओं की जीवन निधि के अंदर अलग की गई संबद्ध निधि या उसी निधि/उप-निधि या पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि अथवा साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आस्तियाँ) की जाएगी जहाँ अंतर्निहित ईक्विटियाँ धारित की जाती हैं।

3.3 ईक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए कोई भी काउंटर पर (ओटीसी) एक्सपोजर निषिद्ध है।

4. ईक्विटी डेरिवेटिव्स के उपयोग के लिए अनुमत निधियाँ :

ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित निधियों की अनुमति दी जाएगी:

4.1 यूनिट सहबद्ध निधियाँ जिनकी अनुमति ईक्विटी लिखतों में निवेश करने के लिए दी गई है; इन निधियों के अंतर्गत ईक्विटी डेरिवेटिव संविदाएँ इसके बाद प्रारंभ की गई नई निधियों के लिए की जाएँगी तथा यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय के अंतर्गत वर्तमान निधियों के लिए किसी भी डेरिवेटिव लेनदेन की अनुमति नहीं है।

4.2 जीवन निधि;

4.3 पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि;

4.4 साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आस्तियाँ।

¹ पैरा 3.1.1 और 3.2.1 देखें : एसएलबी के अंतर्गत उधार दिये गये स्टॉक वर्तमान ईक्विटी धारिताओं के परिकलन के लिए शामिल किये जाने चाहिए।

5. एक्सपोजर और स्थिति की सीमाएँ :

- 5.1 किसी निधि में कुल ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियाँ (स्टाक फ्यूचर्स, सूचकांक आधारित फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित ऑप्शनों, सबको एकसाथ लेते हुए) आनुमानिक मूल्य (पैरा सं. 6 के अनुसार प्राप्त) किसी भी दिन उसी निधि के अंदर (जीवन बीमाकर्ताओं की जीवन निधि के अंदर अलग की गई संबद्ध निधि या उसी निधि/उप-निधि या पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि अथवा साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आस्तियाँ) धारित अंतर्निहित ईक्विटियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा। तथापि, उपर्युक्त सीमाओं में निष्क्रिय भंग, यदि कोई हो, को 15 दिन के अंदर सुधार लिया जाना चाहिए।
- 5.2 स्टॉक फ्यूचर्स संविदाओं और स्टॉक पुट ऑप्शनों (अर्थात् बाजार में विक्रय लाटों को संविदाओं की संख्या से गुणा करके) की कुल संख्या किसी भी दिन निवेश के रूप में धारित संबंधित अंतर्निहित धारिता की मात्रा से अधिक नहीं होगी।
- 5.3 सूचकांक आधारित फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित पुट ऑप्शनों को एकसाथ लेते हुए उनके माध्यम से बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) का आनुमानिक मूल्य किसी भी दिन उसी निधि की ईक्विटी धारिता के बचाव-रहित अंश (ईक्विटी संविभाग के बाजार मूल्य में से अलग-अलग स्टॉक फ्यूचर्स के आनुमानिक मूल्य और अलग-अलग स्टॉक ऑप्शनों के आनुमानिक मूल्य को घटाकर) के बाजार मूल्य के 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। तथापि, उपर्युक्त सीमाओं में निष्क्रिय भंग, यदि कोई हो, को 15 दिन के अंदर सुधार लिया जाना चाहिए।
- 5.4 सूचकांक आधारित फ्यूचर्स / सूचकांक आधारित ऑप्शनों के माध्यम से बचाव को “अत्यधिक प्रभावी” के रूप में माना जाएगा, यदि प्रारंभ में और बचाव की पूरी अवधि के दौरान बचाव लिखत पर हानि और नकदी लिखत पर लाभ के अनुपात अथवा विलोम स्थिति में अनुपात को 80 – 125 प्रतिशत के दायरे के अंदर पूरा किया जाता है। यदि उक्त मूल्य 80 – 125 प्रतिशत के दायरे के बाहर हैं, तो उक्त बचाव को अत्यधिक प्रभावी के रूप में नहीं माना जाएगा तथा सूचकांक के आधार पर उसके द्वारा बचाव की स्थिति का मोचन किया जाएगा तथा लाभ/हानि का लेखांकन नीचे पैरा 9 के अंतर्गत निर्धारित रूप में तय किये गये तरीके के अनुसार किया जाएगा। बचाव की प्रभावकारिता के परीक्षण के लिए आवधिकता का निर्णय बीमाकर्ता के बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त आवधिकता कम से कम तिमाही में एक बार होगी।
- 5.5 कुल बीमाकर्ता स्तर पर ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियाँ समय-समय पर सेबी / शेयर बाजारों द्वारा विनिर्दिष्ट बाजार व्यापी स्थिति की सीमाओं का अनुपालन करेंगी।
- 5.6 व्यापारिक सदस्यों के रूप में बीमाकर्ताओं के लिए स्थिति की सीमाएँ समय-समय पर सेबी / शेयर बाजारों के द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंदर होंगी।

6. ईक्विटी डेरिवेटिव्स का आनुमानिक मूल्य:

ईक्विटी डेरिवेटिव्स में ली गई प्रत्येक स्थिति का निम्नानुसार परिकलित किया गया एक संबद्ध आनुमानिक मूल्य होगा:

स्थिति	आनुमानिक मूल्य
अल्पकालिक (शार्ट) स्टॉक फ्यूचर और अल्पकालिक (शार्ट) सूचकांक आधारित फ्यूचर	(लॉट आकार) x (संविदाओं की संख्या) x (फ्यूचर्स की कीमत)
स्टॉक विक्रय (पुट) ऑप्शन और सूचकांक आधारित विक्रय (पुट) ऑप्शन	(लॉट आकार) x संविदाओं की संख्या x नियत भाव

7. आंतरिक जोखिम प्रबंध नीति और प्रक्रियाएँ :

7.1 ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग डेरिवेटिव स्थिति लेते समय बीमाकर्ता द्वारा धारित ईक्विटियों में दीर्घकालिक स्थितियों के आधार पर केवल बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7.2 बचाव-व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए ली गई डेरिवेटिव स्थिति के प्रति एक्सपोजर अंतर्निहित स्थिति की मात्रा से अधिक नहीं होगा, जिसके विरुद्ध बचाव-व्यवस्था की स्थिति ली गई हो।

7.3 बीमाकर्ता समय-समय पर ईक्विटी डेरिवेटिव्स के संबंध में जारी किये गये सेबी विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों का अनुपालन करेंगे।

7.4 बीमाकर्ता डेरिवेटिव्स की कार्य-प्रणाली को नियंत्रित करनेवाले शेयर बाजारों के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों / दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।

7.5 ईक्विटी डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर ले जाने से पहले, बीमाकर्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) नीति (ईक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए) लागू करेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बचाव-व्यवस्था लेखांकन ढाँचा और बचाव की प्रभावकारिता के निर्धारण के लिए विस्तृत कार्यपद्धति, बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले सूचकांक तथा ऐसे सूचकांकों का चयन करने के लिए तर्कधार शामिल हैं।

7.6 बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि बचाव का निर्धारण निरंतर आधार पर किया जाए और समूची अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी हो।

7.7 डेरिवेटिव्स का मोचन (अनवाइंडिंग) नहीं किया जा सकता, यदि वह बचाव-प्रभावी हो, जब तक अंतर्निहित क्षमता विद्यमान हो, और न ही किसी अन्य अंतर्निहित क्षमता के लिए उसे पुनर्निर्दिष्ट किया जा सकता है या उसका पुनः अभिनियोजन किया जा सकता है।

7.8 यदि अंतर्निहित का विक्रय किया जाता है, तो बचाव का अनिवार्यतः मोचन तत्काल किया जाना चाहिए।

7.9 बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि ईक्विटी डेरिवेटिव्स संबंधी कार्य करनेवाले स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए तथा लेनदेन एक विवेकपूर्ण और प्रभावी तरीके से किये जाएँ।

7.10 बीमाकर्ता डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय दायित्व स्थापित करेंगे।

7.11 बीमाकर्ता बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि जैसे बीमाकर्ताओं के द्वारा सामना किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान करेंगे तथा उन जोखिमों का नियंत्रण करने के लिए सीमाओं का एक सुस्पष्ट और व्यापक सेट स्थापित करेंगे।

7.12 बीमाकर्ता डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए रिपोर्टों का प्रकार और आवृत्ति निर्धारित करेंगे, जिन्हें बोर्ड (अथवा बोर्ड की समिति(यों)) को प्रस्तुत करना होगा।

7.13 बीमाकर्ता ईक्विटी डेरिवेटिव्स एक्सपोज़रों से संबंधित लेखांकन व्यवहार निर्धारित करेंगे तथा डेरिवेटिव्स के उपयोग के कारण शोधन-क्षमता/ पूँजी पर प्रभाव की निगरानी करेंगे।

7.14 ईक्विटी डेरिवेटिव लेनदेन प्रारंभ करने से पहले बीमाकर्ताओं के पास उचित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीतियाँ, प्रक्रिया और बुनियादी संरचना विद्यमान होंगी।

7.15 प्रत्येक बीमाकर्ता ईक्विटी डेरिवेटिव्स में एक्सपोज़र करने से पहले निवेश जोखिम प्रबंध प्रणाली और प्रक्रिया लेखा-परीक्षक के द्वारा प्रणालीगत लेखा-परीक्षा संचालित करेगा तथा उक्त लेखा-परीक्षक से यह कहते हुए एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और नियंत्रण व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।

7.16 समवर्ती लेखा-परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि निरंतर आधार पर इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए तथा इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी देगा। निवेश जोखिम प्रबंध प्रणाली और प्रक्रिया संबंधी लेखा-परीक्षक अपनी आवधिक लेखा-परीक्षाओं में प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर भी टिप्पणी देगा।

7.17 डेरिवेटिव संबंधी नीति का कार्यान्वयन बीमाकर्ता के बोर्ड की निगरानी के अंतर्गत कार्यरत निवेश समिति (आईसी) का दायित्व होगा।

7.18 बीमाकर्ता पहली बार ईक्विटी डेरिवेटिव्स में एक्सपोज़र करने से पहले प्राधिकरण को सूचित करेगा।

8. कंपनी अभिशासन:

8.1 ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियों में एक्सपोज़र करने से पहले, बीमाकर्ता का बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन संबंधित जोखिमों के स्वरूप, संबद्ध जटिलताओं, दबाव के स्तरों आदि का ध्यान रखेगा। बीमाकर्ता कम से कम तिमाही में एक बार अपनी ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियों/लेनदेनों, एक्सपोज़र और स्थिति की सीमाओं संबंधी अनुपालन की रिपोर्ट जोखिम प्रबंध समिति को देंगे। आवधिक अंतरालों पर बोर्ड, की गई संविदाओं की समीक्षा करेगा तथा इस बात से संतुष्ट होगा कि इन दिशानिर्देशों में अनुमत डेरिवेटिव संविदाओं के लिए पर्याप्त जोखिम मापन, प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं तथा



नियंत्रणों को स्थापित किया गया है और वे कार्यात्मक हैं एवं ईक्विटी डेरिवेटिव्स पर ली गई स्थितियाँ पालिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

8.2 बीमाकर्ता का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) ईक्विटी डेरिवेटिव कार्यक्रम के सभी पहलुओं की निगरानी / रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा तथा अनुपालन की रिपोर्ट जोखिम प्रबंध समिति को प्रस्तुत करेगा। जहाँ कोई विशिष्ट ईक्विटी बचाव कार्यक्रम इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं हैं, वहाँ सीआरओ इसकी पहचान करेगा तथा अननुपालनों के संबंध में स्थिति जोखिम प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

8.3 बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे यूलिप (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) की विक्रय विवरणिका (ब्रोशर) में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करें, जहाँ ईक्विटी योजनाएँ संबद्ध हैं।

- i. ईक्विटी डेरिवेटिव उत्पादों में व्यापार करने का उद्देश्य;
- ii. डेरिवेटिव संविदाओं से उत्पन्न होनेवाले जोखिम और प्रतिलाभ एक मात्रात्मक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किये जाएँगे;
- iii. ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप पालिसीधारकों के द्वारा उठाई जानेवाली हानियाँ;
- iv. डेरिवेटिव संविदाओं के लिए निर्धारित एक्सपोजर सीमाएँ।

9. ईक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन और प्रकटीकरण:

9.1 सभी ईक्विटी डेरिवेटिव संविदाएँ तुलन-पत्र में स्वीकृत की जाएँगी तथा उचित मूल्य पर उनका मापन किया जाएगा।

9.2 संबद्ध व्यवसाय – डेरिवेटिव लिखतों की वहन राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले अप्राप्त लाभ या हानि को संबंधित एसएफआईएन के राजस्व खाते में स्वीकार किया जाएगा। डेरिवेटिव खाते की समाप्ति या समापन से उत्पन्न होनेवाला लाभ या हानि को भी संबंधित एसएफआईएन के राजस्व खाते में स्वीकार किया जाएगा।

9.3 असंबद्ध व्यवसाय / साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय – डेरिवेटिव लिखतों की वहन राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले अप्राप्त लाभ या हानि को 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' के अंतर्गत स्वीकृत किया जाएगा। डेरिवेटिव संविदा की समाप्ति या समापन से उत्पन्न होनेवाले लाभ या हानि में विशिष्ट डेरिवेटिव संविदा के संबंध में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे तथा इन्हें संबंधित राजस्व खाते या लाभ-हानि खाते में, जैसा लागू हो, पुनः उपयोग में लाया जाएगा।

9.4 डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए लेखांकन समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

9.5 बीमाकर्ता निम्नलिखित को शामिल करते हुए वित्तीय विवरणों में लेखों की टिप्पणियों के अंतर्गत ईक्विटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से एक्सपोजर के एक विवरण का प्रकटीकरण करेगा:

- 9.5.1 बीमाकर्ता के वित्तीय जोखिम प्रबंध उद्देश्य, विशेष रूप से बचाव (हेजिंग) ईक्विटी संविभाग के लिए उसका तर्काधार;
- 9.5.2 बचाव (हेजिंग) कार्यनीति;
- 9.5.3 लेखांकन नीति।

ईक्विटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से एक्सपोजर का विवरण (लाख रुपये)

निधि का नाम	निधि में धारित ईक्विटियों का बाजार मूल्य	ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियों का आनुमानिक मूल्य (स्टाक फ्यूचर्स प्लस स्टॉक ऑप्शन्स प्लस सूचकांक आधारित फ्यूचर्स प्लस सूचकांक आधारित ऑप्शन्स)	संविभाग निधि में धारित ईक्विटियों के बाजार मूल्य की तुलना में ईक्विटी डेरिवेटिव्स के आनुमानिक मूल्य का प्रतिशत

10. प्राधिकरण को तिमाही रिपोर्टिंग:

10.1 रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन्स के माध्यम से कुल बचाव (हेजिंग) स्थिति (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग) :

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआईएन वार)	निधि में धारित ईक्विटियों का बाजार मूल्य	ईक्विटी डेरिवेटिव स्थितियों का आनुमानिक मूल्य (स्टॉक फ्यूचर्स प्लस स्टॉक ऑप्शन्स प्लस सूचकांक आधारित फ्यूचर्स प्लस सूचकांक आधारित ऑप्शन्स)	निधि में धारित ईक्विटियों के बाजार मूल्य की तुलना में ईक्विटी डेरिवेटिव्स स्थिति के आनुमानिक मूल्य का प्रतिशत

10.2 स्टॉक फ्यूचर्स के माध्यम से बचाव (हेजिंग), अल्पकालिक स्थिति – रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार स्क्रिप वार विवरण (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग)

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआईएन वार)	अंतर्निहित (स्क्रिप का नाम)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का बाजार मूल्य	स्टॉक फ्यूचर्स की कुल संख्या (संविदाओं की संख्या x लाट आकार)	स्टॉक फ्यूचर्स का आनुमानिक मूल्य	अनुरक्षित मार्जिन

10.3 स्टाक पुट ऑप्शन्स के माध्यम से बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) – रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार स्क्रिप वार विवरण (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग)

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआई एन वार)	अंतर्निहित (स्क्रिप का नाम)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का बाजार मूल्य	खरीदे गये पुट ऑप्शन्स की संख्या (लाट आकार) (संविदाओं की संख्या)	पुट ऑप्शन्स का आनुमानिक मूल्य	प्रदत्त ऑप्शन प्रीमियम

10.4 रिपोर्टिंग की तारीख की स्थिति के अनुसार स्क्रिप वार बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की स्थिति (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग)

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआई एन वार)	अंतर्निहित (स्क्रिप का नाम)	धारित शेयरों की संख्या [क]	अल्प-कालिक स्टाक फ्यूचर्स (शेयरों की संख्या) [ख]	खरीदे गये पुट ऑप्शन्स की संख्या (लाट आकार) (संविदाओं की संख्या) [ग]	बचाव किये गये शेयरों की कुल संख्या [घ] = [ख] + [ग]	बचाव न किये गये शेयरों की कुल संख्या [क] – [घ]

10.5 सूचकांक आधारित फ्यूचर्स के माध्यम से बचाव (हेजिंग) – रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार सूचकांक वार विवरण (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग)

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआईएन वार)	सूचकांक	कुल मात्रा (लाट आकार) (संविदाओं की संख्या)	सूचकांक आधारित फ्यूचर्स का आनुमानिक मूल्य	अनुरक्षित मार्जिन

10.6 सूचकांक आधारित ऑप्शन्स के माध्यम से बचाव (हेजिंग) – रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार सूचकांक वार विवरण (प्रत्येक निधि के लिए अलग-अलग)

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआई एन वार)	सूचकांक	खरीदे गये पुट ऑप्शन्स की संख्या (लाट आकार) x (संविदाओं की संख्या)	सूचकांक आधारित पुट ऑप्शन्स का आनुमानिक मूल्य	प्रदत्त ऑप्शन प्रीमियम

10.7 रिपोर्टिंग की तारीख की स्थिति के अनुसार बचाव न किये गये ईक्विटी संविभाग की तुलना में सूचकांक आधारित फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित आप्शन के माध्यम से निधि वार बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की स्थिति:

(लाख रुपये)

निधि का नाम (यूलिप के लिए – एसएफआई एन वार)	रिपोर्टिंग तारीख को निधि में ईक्विटी का बाजार मूल्य [क]	रिपोर्टिंग तारीख को स्टॉक फ्यूचर्स का आनुमानिक मूल्य [ख]	रिपोर्टिंग तारीख को स्टॉक पुट आप्शन का आनुमानिक मूल्य [ग]	बचाव न किया गया अंश [घ= क- (ख+ग)]	सूचकांक आधारित फ्यूचर्स और सूचकांक आधारित आप्शन का कुल आनुमानिक मूल्य [ङ]	ईक्विटी के बचावरहित अंश की तुलना में सूचकांक फ्यूचर्स और सूचकांक आप्शन के आनुमानिक मूल्य का प्रतिशत [च=ङ/घ*100]

इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित की सूचना तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें।

- डेरिवेटिव टर्नओवर डेटा;
- ईक्विटी डेरिवेटिव संविदाओं के मोचन से संबंधित डेटा;
- ईक्विटी डेरिवेटिव लेनदेनों पर निर्धारित लाभ/हानि।

ये दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।



IRDAI (hereinafter referred to as “the Authority”) permitted insurers to deal in financial derivatives in 2004 through Guidelines on Fixed Income Derivatives vide Circular No. INV/GLN/008/2004-05 dated 24th August 2004, which was further reviewed in 2014, for allowing insurers to deal in Rupee Interest Rate derivatives in the form of Forward Rate Agreements (FRAs), Interest Rate Swaps (IRS) and Exchange Traded Interest Rate Futures (IRFs). Besides Fixed Income Derivatives, the Authority also permitted insurers to deal in Credit Default Swaps (CDS) as users (protection buyers) in 2012 vide Circular No. IRDA/F&I/INV/CIR/247/11/2012 dated 27th November, 2012.

Considering the requests from the insurers, increasing trend in investments in equity market by insurers and owing to the associated volatility in the equity prices, a need was felt to permit hedging through Equity Derivatives as a counter measure. Accordingly, the Guidelines on Hedging through Equity Derivatives are hereby, issued under clause 13 of Schedule III of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

1. Insurers are hereby permitted to use equity derivatives for hedging their existing equity exposures, subject to compliance with these guidelines.

2. Objectives:

The equity derivatives are permitted for insurers:

- 2.1 To hedge against volatility in equity market.
- 2.2 To ensure preservation of market value of equity investments.
- 2.3 To reduce equity portfolio risk.

3. Permitted Instruments:

Insurers are allowed to use the following exchange traded equity derivatives to hedge their existing positions:

3.1 Stock Futures and Index Futures:

- 3.1.1 Insurers are allowed to take short positions in Stock Futures and Index Futures to the extent of the existing holding of underlying equities¹ in the respective funds.
- 3.1.2 The short futures position shall be taken within the same fund (segregated Linked fund or same fund / sub-fund within the Life fund or Pension, Annuity and Group fund of the Life Insurers or investment assets of General or Health Insurers) where the underlying equities are held.

¹ Refer para 3.1.1 and 3.2.1 : Stocks Lent under SLB are to be included for the calculation of existing equity holdings.

3.2 Stock Options and Index Options:

3.2.1 Insurers are allowed to take position of an Option Holder(Buyer) and are allowed to buy only put options of Stocks and Indices against the existing underlying equity holding¹ in the respective funds.

3.2.2 The put options shall be purchased within the same fund (segregated Linked fund or same fund / sub-fund within the Life fund or Pension, Annuity and Group fund of the Life Insurers or investment assets of General or Health Insurers) where the underlying equities are held.

3.3 Any Over the Counter (OTC) exposure to equity derivatives is prohibited.

4. **Funds allowed to use Equity Derivatives:**

The following funds will be permitted to use equity derivatives:

4.1 Unit Linked funds which are allowed to invest in equity instruments; The equity derivative contracts under these funds are to be entered for the new funds launched hereafter and no derivative transactions are allowed for the existing funds under the Unit Linked Insurance Business.

4.2 Life Fund;

4.3 Pension, Annuity and Group Fund;

4.4 Investment Assets of General or Health Insurers.

5. **Exposure and Position Limits:**

5.1 The total equity derivative positions in a fund (stock futures, stock options, index futures and index options, all put together) at notional value (arrived as per para no. 6) shall not exceed the market value of underlying equities held within the same fund (Segregated fund or same fund / sub-fund within the Life fund or Pension, Annuity and Group fund of the Life Insurers or investment assets of General or Health Insurers) on any day. However, passive breaches, if any, in the said limits are to be corrected within 15 days.

5.2 The aggregate number of Stock Futures contracts and Stock Put Options (i.e. market lots multiplied by number of contracts) shall not exceed quantity of respective underlying held as investment on any day.

5.3 The notional value of hedging through index futures and index put options together shall not exceed 20% (twenty percent) of market value of unhedged portion (market value of equity portfolio minus notional value of individual stock futures and notional value of individual stock options) of equity holding of the

same fund on any day. However, passive breaches, if any, in the said limits are to be corrected within 15 days.

- 5.4 The hedge through index futures / index options will be deemed to be "highly effective" if at inception and throughout the term of the hedge, the ratio of loss on hedging instrument and gain on cash instrument or vice versa is offset within a range of 80 – 125 percent. If the values are outside 80-125 percent range, then the hedge would not be deemed to be highly effective and the hedging position through index shall be unwound and the profit/loss shall be accounted for in the manner as stipulated under Para 9 below. The periodicity for testing hedge effectiveness is to be decided by the board of insurer and the said periodicity shall be at least once in a quarter.
- 5.5 The equity derivative positions at the aggregate insurer level shall comply with the market wide position limits specified by SEBI / Stock Exchanges, from time to time.
- 5.6 Position limits for insurers as trading members shall be within the limits specified by SEBI / Stock Exchanges, from time to time.

6. Notional Value of Equity Derivatives:

Each position taken in equity derivatives shall have an associated notional value calculated as under:

Position	Notional Value
Short Stock Future and Short Index Future	(Lot Size) x (No. of Contracts) x (Price of Futures)
Stock Put Option and Index Put Option	(Lot Size) x (No. of Contracts) x (Strike Price)

7. Internal Risk Management Policy and Processes:

- 7.1 The equity derivatives shall be used only for hedging purpose, against long positions in equities held by the insurer at the time of taking derivative position.
- 7.2 Exposure to the derivative position taken for hedging purposes shall not exceed the quantity of underlying position against which hedging position has been taken.
- 7.3 Insurers shall comply with SEBI Regulations / Guidelines / Circulars issued with regard to equity derivatives from time to time.
- 7.4 Insurers shall also comply with Circulars / Guidelines issued by stock exchanges governing the functioning of derivatives.



- 7.5 Before taking exposure to equity derivatives, Insurers shall put in place Board approved Hedging Policy (for Equity Derivatives) which, inter alia includes Hedge Accounting framework and detailed methodology for determination of hedge effectiveness, indices to be used for hedging and rationale for selecting such indices, etc.
- 7.6 Insurers shall ensure that hedge is assessed on ongoing basis and is highly effective throughout period.
- 7.7 Derivatives cannot be unwound, if it is hedge effective, so long as the underlying exists, nor can it be re-designated or re-deployed for other underlying.
- 7.8 If the underlying is sold, the hedge must be unwound immediately.
- 7.9 Insurers shall ensure staff dealing in equity derivatives are trained and transactions are carried out in a prudent and effective way.
- 7.10 Insurers shall establish management responsibilities for the officers dealing in derivative transactions.
- 7.11 Insurers shall identify various types of risks faced by the insurers such as market risk, liquidity risk etc. and establish a clear and comprehensive set of limits to control those risks.
- 7.12 Insurers shall lay down type and frequency of reports for derivative transactions, which are to be presented to the Board (or to the committee(s) of the Board).
- 7.13 Insurers shall lay down accounting treatment relating to equity derivatives exposures and monitor the impact on solvency / capital due to the use of derivatives.
- 7.14 The insurers shall have proper Information Technology(IT) policies, process and infrastructure in place before the commencement of Equity Derivative transactions.
- 7.15 Every insurer before undertaking exposure to equity derivatives, shall carryout the Systems Audit through the Investment Risk Management Systems and Process Auditor, and shall obtain certificate from the auditor stating that suitable systems, processes and control mechanisms are in place to meet the requirements of these Guidelines.
- 7.16 The concurrent auditor shall ensure the compliance of these Guidelines on an ongoing basis and shall comment on the same in the quarterly report. The



auditor of Investment Risk Management Systems and Process shall also comment on the systems and procedures in their periodical audits.

7.17 The implementation of the policy on derivative shall be the responsibility of the Investment Committee (IC) under the oversight of Insurer's Board.

7.18 The insurer shall intimate the Authority prior to taking exposure to Equity Derivatives for the first time.

8. Corporate Governance:

8.1 Before taking exposure to equity derivative positions, the Board and the senior management of Insurer shall take note of the nature of the risks undertaken, complexities involved, stress levels etc. Insurers shall at least once in a quarter, report their equity derivative positions / transactions, exposure and position limits compliance to Risk Management Committee. At periodical intervals, the Board shall review the contracts undertaken and satisfy themselves that adequate risk measurement, management policy and procedures & controls for derivative contracts permitted in these guidelines, have been established and are functional and the positions taken on equity derivatives are not prejudicial to the interest of the policyholders.

8.2 The Chief Risk Officer (CRO) of the insurer shall be responsible for monitoring / reporting of all aspects of equity derivative program and shall report compliance to the Risk Management Committee of the Board and also to the Board of the Insurer. Where any particular equity hedging program is not in compliance with the Circular / Guidelines issued in this regard, the CRO shall identify the same and shall take up the non-compliances with the Risk Management Committee.

8.3 Insurers are required to disclose the following in the sales brochure of ULIP (Unit Linked Insurance products) where equity schemes are involved.

- i. The intention to trade in equity derivative products;
- ii. The risks and returns ensuing from the derivative contracts shall be explained by means of a simple quantitative example;
- iii. The losses that may be suffered by the policyholders as a consequence of such investments.
- iv. Exposure limits set for the derivative contracts.



9. Accounting for Equity Derivatives and Disclosure:

- 9.1 All equity derivative contracts shall be recognized on the balance sheet and measured at fair value.
- 9.2 Linked Business - Unrealized gain or loss arising due to changes in the carrying amount of the derivative instruments shall be recognized in Revenue Account of respective SFIN. The gain or loss emanating from expiry or closure of the derivative contract shall also be recognized in Revenue Account of the respective SFIN.
- 9.3 Non-Linked Business / General or Health Insurance Business – Unrealized gain or loss arising due to changes in the carrying amount of the derivative instruments shall be recognized under ‘Fair Value Change Account’. The gain or loss emanating from expiry or closure of the derivative contract shall include accumulated changes in fair value previously recognized under “Fair Value Change Account” in respect of particular derivative contract and shall be recycled to relevant Revenue Account or Profit & Loss account, as applicable.
- 9.4 The accounting for derivative transactions shall comply with the provisions of Schedule II of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time.
- 9.5 The insurer shall disclose a statement of exposure through Equity Derivatives under the Notes to the Accounts in the financial statements covering the following:
- 9.5.1 Insurer's financial risk management objective, in particular its rationale for hedging equity portfolio;
- 9.5.2 Hedging Strategy;
- 9.5.3 Accounting Policy.

Statement of Exposure Through Equity Derivatives

(Rs. In lakh)

Name of the Fund	Market Value of the Equities held in the Fund	Notional Value of Equity Derivative positions (Stock Futures plus Stock Options plus Index Futures plus Index Options)	Percentage of Notional Value of Equity Derivatives Position to the Market value of Equities held in the portfolio Fund



10. Quarterly Reporting to the Authority:

10.1 Total Hedging Position through Equity Futures and Options as on reporting date (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of the Fund (For ULIP - SFIN wise)	Market Value of the Equities held in the Fund	Notional Value of Equity Derivatives positions (Stock Futures plus Stock Options plus Index Futures plus Index Options)	Percentage of Notional Value of Equity Derivatives Position to the Market value of Equities held in the Fund

10.2 Hedging through Stock Futures, Short Position – Scrip wise details as on reporting date (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of Fund (For ULIP - SFIN wise)	Underlying (Name of the Scrip)	No of shares held	Market value of shares held	Total Number of Stock Futures (No. of Contracts x Lot Size)	Notional Value of Stock Futures	Margin Maintained

10.3 Hedging through Stock Put Options – Scrip wise details as on reporting date (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of Fund (for ULIP - SFIN wise)	Underlying (Name of the Scrip)	No of shares held	Market value of shares held	No. of Put Options Purchased (Lot Size) x (No. of Contracts)	Notional Value of Put Options	Option Premium Paid

10.4 Position of Scrip wise hedging as on the date of reporting (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of Fund (for ULIP - SFIN wise)	Underlying (Name of the Scrip)	No of Shares Held [A]	Short Stock Futures (No. of Shares) [B]	No. of Put Options Purchased (Lot Size) x (No. of Contracts) [C]	Total number of shares hedged [D] = [B] + [C]	Total number of shares unhedged [A] – [D]



10.5 Hedging through Index Futures – Index wise details as on reporting date (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of Fund (for ULIP - SFIN wise)	Index	Total Volume (Lot Size) x (No. of Contracts)	Notional Value of Index Futures	Margin Maintained

10.6 Hedging Through Index Options – Index wise details as on reporting date (for each fund separately):

(Rs. In lakh)

Name of Fund (for ULIP - SFIN wise)	Index	No. of Index Put Options Purchased (Lot Size) x (No. of Contracts)	Notional Value of Index Put Options	Option Premium Paid

10.7 Fund wise hedging position through Index Futures and Index Options Vis-à-vis Unhedged Equity Portfolio as on the date of reporting:

(Rs. In lakh)

Name of Fund (for ULIP - SFIN wise)	Market value of Equity in the Fund as on the Reporting Date [A]	Notional value of Stock Futures on Reporting Date [B]	Notional Value of Stock Put Options as on the Reporting date [C]	Unhedged Portion [D = A-(B+C)]	Total Notional value of Index Futures and Index options [E]	Percentage of Notional Value of Index Futures and index Options to Unhedged Portion of Equity [F= E/D*100]

Further, insurers are required to report the following on quarterly basis.

- Derivative Turnover data;
- Data pertaining to Unwinding of Equity Derivative Contracts;
- Profit/Loss booked on Equity Derivative transactions

These guidelines are issued with approval of the Competent Authority.

हस्ता. / Sd./-

(अम्मु वेंकटरमना / Ammu Venkataramana)
(महाप्रबंधक / General Manager)